रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232935 CG-DL-E-27012022-232935

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

No. 581

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2022

सं. एन-12/13/01/2019-यो.एवंवि.—जबिक 01.07.2021 से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में बेरोजगारी से पूर्व 2 वर्ष बीमायोग्य रोजगार की पात्रता शर्त तथा अंशदायी शर्त को शिथिल करने के लिए मसौदा अधिसूचना भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खण्ड-4 (क्रम सं. 566), दिनांक 16.11.2021 को प्रकाशित की गई थी।

और जबिक उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 16.11.2021 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी;

और प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से कोई भी आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा दिनांक 01.07.2021 से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की बेरोजगारी से पूर्व 2 वर्ष बीमायोग्य रोजगार की पात्रता शर्त तथा अंशदायी शर्त की शिथिलता को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:-

544 GI/2022 (1)

"बीमाकृत व्यक्ति अपनी बेरोजगारी से तुरंत पूर्व न्यूनतम 12 माह की अवधि के लिए बीमायोग्य रोजगार में हो तथा बेरोजगारी से तुरंत पूर्ववर्ती 12 माह में एक पूर्ण अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान दिया हो।"

> एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (यो. एवं वि.) [विज्ञापन-III/4/असा./614/2021-22]

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2022

**No. N-12/13/01/2019-P&D.**—Whereas draft notification to provide relaxation in the eligibility condition of 2 years insurable employment before unemployment and the contributory condition of Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana w.e.f. 01.07.2021 was published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No 566) dated 16.11.2021.

And whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 16.11.2021;

And no suggestion was received from the persons likely to be affected;

Now, therefore in exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies its decision to relax the eligibility condition of 2 years insurable employment before unemployment and contributory condition of Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana with effect from 01.07.2021 as under:-

"The Insured Person should have been in insurable employment for a minimum period of 12 months immediately before his/her unemployment and should have contributed for not less than 78 days in the one completed contribution period in 12 months immediately preceding to unemployment."

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./614/2021-22]